

प्रेम्सा,

गिरिराज पार्क,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

8/3

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 संख्या: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2005

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के संबंध में ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक-12-10-2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है ।

2- अधिनियम की धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित आवेदन पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो ।

3- अधिनियम की धारा 27(2) में सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्रावधान है जिसे हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

4- उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत मुझे यह कठने का निर्देश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 (शाबी) की अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से शुल्क निर्धारित करते हुए अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

1। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु 'गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं' ली जायेगी जिसे लिए उक्त प्रमाण पत्र देना होगा।

₹0 10-00
प्रति आवेदन पत्र।

2। किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु 1₹-4। या 1₹-3। साइज पेपर पर प्रतिलिपि

₹0 2 -00
प्रतिपृष्ठ।

3। लार्जर साइज के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु

₹ वार्षिक
व्यय प्रतिपृष्ठ।

4। सम्पत्ति अधिवा माउन्स के लिए उनका वार्षिक मूल्य और जहाँ सूचना छपी मूल्य से संबंधित है वहाँ निर्धारित धारा मूल्य

मा. 31/3/05
चौ. क. 2
9.11.05

15। अभिलेखों का निरीक्षण प्रथम घण्टा	₹0 10-00
उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए	₹0 5-00
16। डिस्कट या फ्लोपी या कम्पैक्ट डिस्क द्वारा सूचना प्राप्त करने पर	₹0 50-00 प्रत्येक।
17। प्रिंटेड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिंटेड सामग्री की प्रकाशक की नियत दर पर	
18। प्रकाशित सामग्री के उद्धरण की प्रतिमूद्रण फोटोकॉपी के लिए	₹0 2-00 प्रतिमूद्रण।

5- उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा संबंधित लोक प्राधिकारी को देव डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक चेक से लिया जा सकेगा तथा प्रत्यावेदन कार्य को शुल्क रसीद प्रदान की जायेगी।

6- कृपया अपने अधीन सभी 'विभागाध्यक्षों/कार्यालयध्यक्षों' को उक्त से अवगत कराने का कष्ट करें। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने मण्डल एवं जनपद के सभी कार्यालयों को अपने स्तर से भी अवगत करा दें व निर्दिष्ट कर दें कि कार्यालयध्यक्ष अपने अधीन सभी 'जन्तुसूचना अधिकारियों' को इन आदेशों से अवगत करा दें।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अध्यादेश-ई-9-542/सि-05 दिनांक 19-8-05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

गिरिराज वर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या-993 111/43-2-2005 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी-

- 1- तमस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- तमस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- तमस्त विभागाध्यक्ष, उज्जैन शासन।

आज्ञा से,
Naraj Singh

नपतेज सिंह
सचिव।